



संदर्भ सं.राबैं.डॉर.जीएसएस/4027जीएसएस-जेन/2014-15  
6 जनवरी 2015

परिपत्र सं./ 05 /डॉर 01 /2014-15

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक  
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक  
सभी अनुसूचित (प्राथमिक) शहरी सहकारी बैंक  
सभी क्षेत्रीय बैंक/कृषिविनि/रास बैंक/रासकृषावि बैंक

प्रिय महोदय

नाबार्ड के माध्यम से लागू की जाने वाली सरकारी  
प्रायोजित योजनाएं - आम जनता से प्राप्त शिकायतें -  
जारी सब्सिडी का अंतिम उपयोग सुनिश्चित करना

हमें सूचित करना है कि हमें आम जनता और संबंधित एजेंसियों से समय-समय पर कई शिकायतें मिलती हैं कि भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत नाबार्ड के माध्यम से दी जाने वाली सब्सिडी का उपयोग लाभार्थियों द्वारा उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जात है जिसके लिए वह दी गई है.

2. चूंकि योजनाएं ऋण से जुड़ी हैं जिसमें बैंक-एंडेड सब्सिडी का प्रावधान है, अतः आपसे अनुरोध है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लाभार्थियों द्वारा ऋण और सब्सिडी का दुरुपयोग नहीं किया जाता है. हम यह भी सूचित करते हैं कि इस प्रकार के दुरुपयोग की स्थिति में वित्तपोषक बैंक को संबंधित यूनिट के लिए जारी की गई सब्सिडी तत्काल नाबार्ड को वापस करना आवश्यक है.

3. आपको सूचित किया जाता है कि अपने नियंत्रक कार्यालयों/शाखाओं को उपर्युक्त अनुदेश के अनुपालन के लिए सूचित करें.

भवदीय

(के.मल्लिगाराज)  
महाप्रबंधक

Ref No.NB.DoR.GSS/4027/GSS-Gen/2014-15  
6 January 2015

Circular No./ 05 /DoR 01 /2014-15

The Chairman/Managing Director  
All Scheduled Commercial Banks/  
All Scheduled (Primary) Urban Coop Banks  
All RRBs/ADFCs/SCBs/SCARDBs

Dear Sir

**Govt Sponsored Schemes routed through  
NABARD - Complaints received from public -  
Ensuring end use of subsidy released**

We would like to bring to your kind notice that time and again we are receiving various complaints from public and other concerned agencies that subsidy released under various Schemes of Govt of India routed through NABARD are not used by the beneficiaries for the purpose for which it is intended.

2. Since these schemes are credit linked with a provision of back-ended subsidy, we request you to ensure that credit and subsidy are not misutilized by the beneficiaries. We also advise that in the event of such misuse, the financing bank is required to refund the subsidy released in respect of the unit concerned to NABARD immediately.

3. You may please advise your controlling offices/branches to comply with the above instructions.

Yours faithfully

(K. Malligaraj)  
General Manager